# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/64/2018 | 2018/00248 | 10–07–2018 | 07–04–2021 |

01– मधुलता शर्मा उर्फ मधुकुमारी पुत्री स्व0 श्री हरदत्त शर्मा पौत्री स्व0 चन्द्रदत्त शर्मा पत्नी श्री गुरूदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 466 हाव की टोटी के सामने, सुभाष चौक, जयपुर राज0। **–अपीलान्ट**

**बनाम**

01– तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। **–रेस्पाडेन्ट**

**अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 06.02.2018 नामान्तकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाड़ा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर राज0**

**उपस्थितः–**

01. श्री चन्द्रप्रकाश कुमावत –वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार

**––:: निर्णय ::––**

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 06.02.2018 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाड़ा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 16.05.2018 को हुई। नकल प्राप्त कर दिनांक 10.07.2018 को बिना देरी के अपील पेश की गयी है। देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत निर्णय बिना क्षेत्राधिकार किया है। खसरा नम्बर 1960, 1961 व 1313 वाके ग्राम कलसाड़ा में तथा खसरा नम्बर 12, 13 व 14 ग्राम नंगली झामावत में स्थित –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है। हरदत्त पुत्र चन्द्रदत्त अपीलांटा के पिता थे जिनका भी उक्त आराजी में हिस्सा है। अपीलांटा के पिता के हिस्से की आराजी का नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय नहीं करने पर उक्त नामांतरकरण निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 135 (2) एलआरएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.02.2018 को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया। उक्त इंतकाल माननीय जिला न्यायाधीश अलवर के निर्णय दिनांक 09.09.2016 में मधुलता शर्मा को हरदत्त मिश्रा का उत्तराधिकार अस्वीकार होने पर खारिज किया गया है। आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक हरदत्त मिश्रा के वारिसों की जांच करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत कलसाड़ा द्वारा अपीलांट के दादा का सजरा नियमानुसार जांच कर जारी किया गया है। जिसमें हरदत्त मिश्रा को चन्द्रदत्त का पुत्र तथा अपीलांटा को हरदत्त की पुत्री होना दर्ज किया है। साथ ही अपीलांटा को हरदत्त की पुत्री व अन्य कोई वारिस नहीं होना प्रमाणित किया है। इस संबंध में ग्राम वासियान द्वारा मेजरनामा भी पेश किया गया। जिसकी रोशनी में मृतक हरदत्त मिश्रा की अपीलांटा पुत्री होना व वारिस होना साबित था। अपीलांटा के चाचा व ताऊ यानि चन्द्रदत्त शर्मा के समस्त वारिसान द्वारा एक अभिस्वीकृति दिनांक 21.05.2017 तहरीर कर नोटेरी पब्लिक तस्दीक करायी गयी। जिसमें अपीलांटा को मृतक हरदत्त मिश्रा की पुत्री व वारिस होना दर्ज किया है। मौके पर अपीलांटा हरदत्त मिश्रा के हिस्से की भूमि पर काबिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2018 नामान्तकरण संख्या 1807 ग्राम कलसाड़ा व 475 ग्राम नंगलीझामावत तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर को निरस्त किया जाकर अपीलांटा के हक में उक्त नामांतरकरण स्वीकार करने की कृपा करें। वकील अपीलांटा द्वारा अपील के समर्थन में 2018 1 आरआरटी पेज 359 एवं आरआरडी 2017 पेज 141 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 06.02.2018 के विरूद्ध दिनांक 10.07.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 05 माह के विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील जानबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है। जो अपीलांट द्वारा प्रा0पत्र 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा उक्त दोनों इंतकाल दिनांक 05.04.2017—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

को तद्उपरांत दिनांक 20.04.2017 को पेश किये गये। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय नहीं किये जाने पर उक्त दोनों इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा पेश किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दोनों इंतकाल का निर्णय नहीं किये जाने पर अपीलांटा द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों इंतकाल विवादित होने पर प्रकरण धारा 135 (2) एलआरएक्ट के तहत दर्ज किया गया। तद्उपरांत माननीय जिला न्यायाधीश अलवर का निर्णय दिनांक 09.09.2016 की पालना में अपीलांटा को उत्तराधिकारी नहीं मानने पर दोनों इंतकाल खारिज किये गये है। धारा 135 (2) एलआरएक्ट के तहत निर्णित प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर को है। प्रथमदृष्ट्या अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्णित प्रकरणों को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

07/04/2021

**अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)**
**अलवर (राजस्थान)**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)